न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला–छतरपुर

1– श्रीमती गनेश राजा पत्नी श्री शिवराज सिंह,

2– श्रीमती गेंदा राजा पत्नी श्री रामसिंह समस्त निवासीगण ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1– पप्पू पुत्र श्री मिहीलाल बसोर,

2– मिहीलाल पुत्र श्री दुर्जना बसोर, निवासीगण– ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

—— .अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर, जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2011–12 में की जा रही समस्त अवैध कार्यवाही एवं आदेश पत्रिका दिनांक 26.02.2013, 26.03.2013, 16.04.2013 एवं 21.05.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम बरेठी, तहसील राजनगर में स्थित भूमि खसरा क्रमांक 646/3, रकवा 2.023 हैक्टेयर, का अस्थायी पट्टा वर्ष 1973–74 से 1997–78 के लिए अनावेदक क्रमांक 2 को दिया गया था, और भूमि पर कब्जा अनावेदक क्रमांक 2 का है तथा उसके द्वारा पट्टे की समस्त शर्तो का पालन किया गया है, एवं तहसीलदार बसारी द्वारा आदेश दिनांक 24.07.1991 से अनावेदक क्रमांक 2 को विवादित भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है।

2– यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 के पिता मिहीलाल को आवेदक क्रमांक 1 व 2 के पति शिवराज सिंह व रामसिंह ने यह कहते हुए कि तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे एवं गरीबीरेखा में नाम जुड़वा देंगे, इसलिए तुम्हे राजनगर चलकर कुछ कागज बनवाने होंगे तथा वहां जांकर कुछ कागजातों पर अंगूठा लगवा लिये हैं।

3– यहकि, विवादित भूमि एन.टी.पी.सी. पॉवर प्लॉट द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी है और सम्पत्ति पर आवेदक क्रमांक 1 व 2 के नाम नोटिस निकला, तब अनावेदक क्रमांक 1 ने विवादित सम्पत्ति के बारे में जानकारी की, तव ज्ञात हुआ कि आवेदक क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 15.06.2001 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2350-दो/2013 जिला छतरपुर गनेश विरूद्ध पप्पू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 6/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 26-02-2013, 26-03-2013, 16-04-2013 एवं 21-05-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-06-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का	

16.01.19

निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य